



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 994]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2013/ वैशाख 13, 1935

No. 994]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2013/VAISAKHA 13, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2013

का.आ. 1133(अ).—यतः, मै. बाटा इंडिया लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य के जिला दक्षिण 24 परगना के ग्राम जगतला एवं बांग्ला में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 66(अ) द्वारा 10.1141908 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था।

और, यतः मै. बाटा इंडिया लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 10.1141908 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 21 जून, 2010 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती हैं ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 2/221/2006-ईपीजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2013

S.O. 1133(E).—Whereas, M/s. Bata India Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology at Villages Jagtala and Bangla, District South 24 Parganas in the state of West Bengal;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.1141908 hectares at above location as Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 66(E) dated 09th January, 2008;

And Whereas, M/s. Bata India Limited has proposed to de-notify the entire area of 10.1141908 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 21st June, 2010;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/221/2006-EPZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.